न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 48/2018 दायरा दिनांक : 13.03.2018

उनवान

श्रीमती अनिता बाई पत्नी बन्टी सिंह, जाति राजपूत, निवासी मान्डवी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– लाडकुंवर पत्नी कालू सिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

2– गजराज सिंह पुत्र मदन सिंह, जाति राजपूत, निवासी मान्डवी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

3– बन्टी आत्मज श्याम सिंह, जाति राजपूत, निवासी मान्डवी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

4– श्रीमती सीता बाई बेवा श्याम सिंह, जाति राजपूत, निवासी मान्डवी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

5– गोरधन सिंह आत्मज मदन सिंह, जाति राजपूत, निवासी मान्डवी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

6– श्रीमती रतन बाई बेवा मदन सिंह, जाति राजपूत, निवासी मान्डवी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री शिवशंकर शर्मा एवं श्री दिनेश शर्मा अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 18.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 11/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प कुन्डीखेडा पर रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा प्रस्तुत दावे का निर्णय करने में त्रुटि की है । जबकि विवादित आराजी खाता संख्या 82 की 2 किता की कुल रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा आराजी अपीलांट ने दिनांक 04.01.2016 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार रेस्पोडेंट गजराज सिंह से विधिवत रूप से उचित प्रतिफल देकर क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । इसके बावजूद रेस्पोडेंट कम 1 ने जानकारी होने के बावजूद भी अपीलांट को दावे में पक्षकार नहीं बनाया जो अवैधानिक है । विवादित आराजी 2 बीघा 3 बिस्वा को बिना आधार के पैतृक मानकर खातेदार टीनेन्ट रेस्पोडेन्ट कम 1 को घोषित किया है । जबकि प्रस्तुत राजीनामा कानूनी प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है विधिक रूप से सही नहीं था कानूनी प्रावधानों के विपरीत राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता । कानूनन सहमति या राजीनामे के आधार पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होना जरूरी है जबकि विवादित मामले में केवल 3 व्यक्तियों के आदेशिका आवेदन पर हस्ताक्षर है । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता" वैसे भी कानूनन लोक अदालत में वाद तथी डिक्री किया जा सकता है जब सभी पक्षकार सहमत हो । विवादित आराजी अपीलांट ने दिनांक 04.01.2016 को क्रय की थी एवं रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा दावा दिनांक 28.01.2016 को पेश किया गया

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने वाद दायरी के पूर्व ही विवादित आराजी 2 बीघा 3 बिस्वा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था । इस तथ्य की जानकारी रेस्पोडेंट क्रम 1 व रेस्पोडेंट क्रम 2 को थी फिर भी दावे में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया जो अवैधानिक है । विवादित आराजी के मामले में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग आदेश नहीं है, केवल मौखिक कथन के आधार पर बिना आधार के किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अपीलांट विवादित आराजी खसरा नम्बर 602 व 603 की कुल 2 बीघा 3 बिस्वा आराजी का रजिस्टर्ड केता व काबिज है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावी होते हैं । ऐसी स्थिति में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 से प्रभावित पक्षकार है इसलिए यह अपील प्रस्तुत करने के अधिकारिणी हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.11.2017 को होने पर व सम्बन्धित कागजात प्राप्त करने दिनांक 28.11.2017 उसके बाद अपीलांट गम्भीर रूप से अस्वस्थ्य होने से अपील अन्दर मियाद मानी जावे । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय व डिक्री पारित की है । राजस्व लोक

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना है जिसमें सभी पक्षकार सहमत हो । कैम्प की आदेशिका दिनांक 22.06.2016 पर केवल गजराज बंतीसिंह, लाडकुवर के हस्ताक्षर है । गजराज ने आदेश एवं डिक्री की अपील माननीय न्यायालय में की थी । अपील संख्या 2/17 गजराज बनाम लाडकुंवर का निर्णय दिनांक 14.08.2017 को किया अपील खारिज की यह माना की गजराज के आदेशिका पर हस्ताक्षर है अन्य पक्षकार जिनके हस्ताक्षर नहीं हैं उन्हें अपील का अधिकार है । अपील के लिए स्वतंत्र माना इसलिए जानकारी में दिनांक से अपील अपीलांट अवधि मध्य है । अपीलांट ने विवादित आरजी 2 बीघा 3 बिस्वा दिनांक 04.01.2016 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है दावा दिनांक 28.01.2016 को पेश किया है, दावा दायरी के पूर्व ही क्रय होने अपीलांट का आराजी पर बहैसियत केता कब्जा है । वादीगण जानकारी के बावजूद भी अपीलांट को दावे में पक्षकार नहीं बनाया जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित होते हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलांट को दावे में पक्षकार प्रतिवादी नम्बर 7 बनाकर नियमानुसार सुनवाई जवाब साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2017 (2) पेज 771 नजीर पेश की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने विवादित आरजी 2 बीघा 3 बिस्वा दिनांक 04.01.2016 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है दावा दिनांक 28.01.2016 को पेश किया है, दावा दायरी के पूर्व ही क्रय होने अपीलांट का आराजी पर बहैसियत केता कब्जा है । वादीगण जानकारी के बावजूद भी अपीलांट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध-अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

को दावे में पक्षकार नहीं बनाया जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित होते हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना एवं अपीलांट को दावे में पक्षकार प्रतिवादी नम्बर 7 बनाकर नियमानुसार सुनवाई, जवाब, साक्ष्य का अवसर प्रदान करना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को दावे में पक्षकार प्रतिवादी नम्बर 7 बनाकर नियमानुसार सुनवाई, जवाब, साक्ष्य का अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.02.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा